GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 21] No. 21] दिल्ली, जून 19—जून 25, 2009, बृहस्पतिवार /ज्येष्ठ 29—आषाढ़ 4, 1931 [रा.स.स.क्षे.दि. सं. 70,73,75] DELHI, JUNE 19— JUNE 25, 2009, THURSDAY/JYAISATHA 29—ASADHA 4, 1931 [N.C.T.D. No. 70,73,75]

भाग —IV PART -IV

भाग-। में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण आदेश

दिल्ली, जून 15, 2009

सं फा. 10 (634)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/5493.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रियेटर निटटोक् ऑटोमोटिव साउंड प्रुफ प्रोडक्टस इंडिया प्रा. लि., 308 हेमकुन्ट टावर, 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 149900000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 15000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,49,900 (रुपये एक लाख उन्नचास हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 15th June, 2009

No. F. 10(634)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5493.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rieter Nittoku Automotive Sound Proof Products India Private Limited, 308, Hemkunt Tower, 98, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,49,900 (Rs. One Lac Forty Nine Thousand Nine Hundered) only on the aggregate value of shares of Rs. 14,99,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 10001 to 15000000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (665)/मु, स. (मुख्या)/स.शु./08/5494.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स रियेटर इंडिया प्रा. लि., 308 हेमकुन्ट टावर, 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 63,52,52,699 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2582748 से 3490199 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6,35,253 (रुपये छ: लाख पैतिस हजार दो सौ तिरपन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(665)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5494.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rieter India Private Limited, 308, Hemkunt Tower, 98, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,35,253 (Rs. Six Lac Thirty Five thousand Two Hundred Fifty Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 63,52,52,699 for equity shares certificate with distinctive Nos. 2582748 to 3490199 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (571)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/5495.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्टलेक्युएल प्रोपर्टी प्रा. लि., एक्स-14, पहली मंजिल, होज खास इंक्लेव,नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 89,07,255 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 000565551 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 8,908 (रुपये आठ हजार नौ सौ आठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(571)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5495.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Global Institute of Intellectual Property Private Limited, X-14, First Floor, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8,908 (Rs. Eight Thousand Nine Hundred Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 89,07,255 for equity shares with distinctive Nos. 0001 to 000565551 to be issued by the said company.

दिल्ली, जून 16, 2009

सं. फा. 10 (717)/मु, स. (मुख्या)/स.शु./08/5501.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पेरेनियल इन्वेस्टमेन्टस प्रा. लि., 1112, ग्यारहवीं मंजिल, सूर्य किरन बिल्डिंग, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या पी 50001 से 200000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 15,000 (रुपये पन्द्रह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 16th June, 2009

No. F. 10(717)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5501.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of Subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Perennial Investments Private Limited, 1112, 11th Floor, Surya Kiran Bldg., R.G. Marg New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 15,000 (Rs. Fifteen Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,50,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 50001 to 200000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (679)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5502.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कम्पनी लि., यूजी-फ्लोर, महेन्द्रा टावर्स, 2ए, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,39,92,00,000 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 200005 से 540120004 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 53,99,200 (रुपये तिरपन लाख निन्यानबे हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(679)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5502.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ONGC Tripura Power Company Limited, UG-Floor, Mahindra Towers, 2A, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a

consolidated stamp duty of Rs. 53,99,200 (Rs. Fifth Three Lac Ninety Nine Thousand Two Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 539,92,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 200005 to 540120004 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (664)/मृ.स. (मुख्या.)/स.श्./08/5508.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स बंसल क्रेडिटस लि., 1, अंसारी रोड, दूसरी मंजिल, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 70,19,000 मुल्य के सेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, डिबेन्चर (सीरीज एच) जिनकी पृथक संख्या 55165 से 62183 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 7019 (रुपये सात हजार उन्नीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(664)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5508.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bansal Credits Limited, 1, Ansari Road, 2nd Floor, Daryagani, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7019 (Rs. Seven Thousand Nineteen) only on the aggregate value of debentures of Rs. 70,19,000 for issue of secured redeemable, Non Convertible debentures Series 'H' bearing distinctive Nos. 55165 to 62183 to be issued by the said company.

दिल्ली, जुन 17, 2009

सं फा. 10 (630)/मु स. (मुख्या)/स.शू./08/5557.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स तेरा पलेनट एस्टेट प्रा. लि., 15, ओरंगजेब रोड, नई दिल्ली-110011, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 19,97,11,764 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 4765042 है, पर लगने वाले मद्रांक शल्क रुपये 1,99,712 (रुपये एक लाख निन्यानबे हजार सात सौ बारह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 17th June, 2009

No. F. 10(630)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5557.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Terra Planet Estate Private Limited, 15, Aurangzeb Road, New Delhi-110011 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,99,712 (Rs. One Lac Ninety Nine Thousand Seven Hundred Twelve) only on the aggregate value of shares of Rs. 19,97,11,764 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10001 to 4765042 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (710)/मृ.स. (मुख्या.)/स.शू./08/5554.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स क्रोस्ले रेमिडिज लि., ए-14, पुष्पांजली, विकास मार्ग एक्टे., नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 31 32 100 मल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 41889296 से 42202505 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,133 (रुपये तीन हजार एक सौ तैंतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(710)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5554.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Crosslay remedies Limited, A-14, Pushpanjali, Vikas Marg Extension, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,133 (Rs. Three Thousand One Hundred Thirty Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 31,32,100 for equity shares certificates with distinctive Nos. 41889296 to 42202505 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (711)/मु. स. (मुख्या)/स.श्./08/5555.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स करेज इन्फोटेक प्रा. लि., डी-41, दूसरी मंजिल, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 59,50,00,000 मुल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 805001 से 2292500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,95,000 (रुपये पांच लाख पिचानबे हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

No. F. 10(711)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5555.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry

of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Courage Infotech Private Limited, D-41, Second Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,95,000 (Rs. Five Lac Ninety Five Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 59,50,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 805001 to 2292500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (700)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/5556.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स राना मोटर्स प्रा. लि., ए-2/7 रेखी हाउस, सफदरजंग इंन्कलेव, नई दिल्ली-110029, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,44,00,000 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 900121 से 948120 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 14,400 (रुपये चौदह हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(700)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5556.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rana Motors Private Limited, A-2/7, Rekhi House, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 14,400 (Rs. Fourteen Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,44,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 900121 to 948120 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (682)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/5551.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स बेस्टेक्स एमएम इंडिया प्रा. लि., 215, दूसरी मंजिल, सुनेजा टावर-II, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 8,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 66000001 से 74000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 80,000 (रुपये अस्सी हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(682)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5551.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bestex MM India Private Limited, 215, 2nd Floor, Suneja Tower-II, District Centre, Janak Puri, New Delhi-110058 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 80,000 (Rs. Eighty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 8,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 66000001 to 74000000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (709)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5552.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैससं पी टी सी इंडिया फाइनेनशियल सर्विसेज लि., दूसरी मंजिल, एन बी सी सी टावर, 15 भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,00,00,00,00,16 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 243333335 से 434583335 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30,00,001 (रुपये तीस लाख एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(709)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5552.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. PTC India Financial Services Limited, 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,00,001 (Rs. One Lac One) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,00,00,00,016 for equity shares certificates with distinctive Nos. 2433333335 to 434583335 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (635)/मु स. (मुख्या)/स.शु,/08/5553.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स इन्टीग्रेटिड हैल्थ एण्ड हैल्थक्यर सर्विसेज इंडिया प्रा. लि., लोवर ग्राउंड फलोर, सी-4/5, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 24,65,94,770 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 8969300 से 9764766 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,46,595 (रुपये दो लाख छयालीस हजार पांच सौ पिचानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(635)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5553.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Integrated health and Healthcare Services India Private Limited, Lower Ground Floor, C-4/5, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,46,595 (Rs. Two Lac Forty Six Thousand Five Hundred Ninety Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 24,65,94,770 for equity share certificates with distinctive Nos. 8969300 to 9764766 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (719)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5548.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोदी ओमेगा फार्मा (इंडिया) प्रा. लि., 1400, मोदी टावर, 98 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 94,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 950000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9,400 (रुपये नौ हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(719)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5548.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Modi Omega Pharma (India) Private Limited, 1400, Modi Tower, 98 Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9,400 (Rs. Nine Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 94,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10001 to 950000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (713)/मु. स. (मुख्या)/स.शु,/08/5549.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जीडीडी एक्सपर्ट इंडिया प्रा. लि., सी-763, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110025, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,90,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 34801 से 63800 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 290 (रुपये दो सौ

नब्बे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(713)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5549.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. GDD Experts India Private Limited, C-763, New Friends Colony, New Delhi-110025 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 290 (Rs. Two Hundred Ninety) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,90,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 34801 to 63800 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (714)/मु स. (मुख्या)/स.शु./08/5550.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सनविजन बिल्डर्स प्रा. लि., 106, बाबर रोड, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली–110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 59,75,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2560001 से 4053750 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,97,500 (रुपये पांच लाख सतानवे हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(714)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5550.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sunvision Builders Private Limited, 106, Babar Road, Bengali Market, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,97,500 (Rs. Five Lac Ninety Seven Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 59,75,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 2560001 to 4053750 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (720)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5545.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रीब्युशन प्रा. लि., डी-88, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 24,78,27,420 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक

2326 26/09-2

संख्या 1078241 से 17610495 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,47,838 (रुपये दो लाख सैंतालीस हजार आठ सौ अटठाईस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(720)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5545.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Global Infonet Distribution Private Limited, D-88, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,47,828 (Rs. Two Lac Forty Seven Thousand Eight Hundred Twenty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 24,78,27,420 for equity share certificates with distinctive Nos. 1078241 to 17610495 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (721)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/5546.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एम दू के इन्टरटेनमेंट प्रा. लि., ई-34, दूसरी मंजिल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 18,13,39,950 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5992201 से 7201133 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,81,340 (रुपये एक लाख इक्यासी हजार तीन सौ चालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(721)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5546.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. M2K Entertainment Private Limited, E-34, 2nd Floor, Connaught Circus, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,81,340 (Rs. One Lac.Eighty One Thousand Three Hundred Forty) only on the aggregate value of shares of Rs. 18,13,39,950 for equity share certificates with distinctive Nos. 5992201 to 7201133 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (652)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/5547.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फलेश इलेक्ट्रोनिक्स (इंडिया) प्रा. लि., बी-11/3, मोहन को-ओपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 9,06,30,136 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 43854971 से 51093309 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 90,631 (रुपये नब्बे हजार छ: सौ इक्कतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(652)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5547.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Flash Electronics (India) Private Limited, B-11/3, Mohan Co-operative Industrial Area, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 90,631 (Rs. Ninety Thousand Six Hundred Thirty One) only on the aggregate value of shares of Rs. 9,06,30,136 for equity shares with distinctive Nos. 43854971 to 51093309 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (718)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5537.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नाकागावा स्पेशल स्टील इंडिया कम्पनी प्रा. लि., 202—206, टाल्सटाय हाउस, 15 टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 99,96,540 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 500001 से 1499654 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9,997 (रुपये नौ हजार नौ सौ सतानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(718)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5537.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Nakagawa Special Steel India Company Private Limited, 202-206, Tolstoy House, 15 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9,997 (Rs. Nine Thousand Nine Hundred Ninety Seven) only on the aggregate value of shares of Rs. 99,96,540 for equity share certificates with distinctive Nos. 500001 to 1499654 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (585)/मु, स. (मुख्या)/स.शु./08/5538.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हिताची ट्रांस्पोर्ट सिस्टम इंडिया प्रा. लि., 116–117, पहली मंजिल, रेक्टेंगल–1, डी–4, डिस्ट्रीक सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली–110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,00,000 मूल्य के इंक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 70000001 से 120000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 50,000 (रुपये पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भूगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(585)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5538.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Hitachi Transport System India Private Limited, 116-117, 1st Floor, Rectangle-I, D-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,00,000 equity shares certificates with distinctive Nos. 70000001 to 1200000000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (701)/मु स. (मुख्या)/स.शु./08/5544.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सूर्य विनायक एग्रो फार्मस लि., ई-3, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, दिल्ली-110034, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 25,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50001 से 300000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,500 (रुपये दो हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भूगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(701)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5544.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Vinayak Agro Farms Limited, E-3, Mangolpuri Industrial Area, Phase-II, Delhi-110034 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,500 (Rs. Two Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 25,00,000 for equity shares certificate with distinctive Nos. 50001 to 300000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (637)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5534.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एटीसी टावर कम्पनी ऑफ इंडिया प्रा. लि., 103, अशोका इस्टेट, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 14,46,80,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 35340581 से 49808580 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,44,680 (रुपये एक लाख चवालीस हजार छ: सौ अस्सी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(637)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5534.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ATC Tower Company of India Private Limited, 103, Ashoka Estate, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,44,680 (Rs. One Lac Forty Four Thousand Six Hundred Eighty) only on the aggregate value of shares of Rs. 14,46,80,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 35340581 to 49808580 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (607)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5535.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोन्टगोमरी इंडिया प्रा. लि., डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 81,74,680 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1000001 से 1817468 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 8,175 (रुपये आठ हजार एक सौ पिछहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(607)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5535.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Montgomery India Private Limited, D-28, South Extension, Part-I, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8,175 (Rs. Eight Thousand One Hundred Seventy Five) only on the aggregate value of shares of Rs. 81,74,680 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1000001 to 1817468 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (712)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5536.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री होन्डा ट्रेडिंग कोरपोरेशन इंडिया प्रा. लि., एफ-10, मनीष टिवन प्लाजा, प्लोट नं. 3, सेक्टर-4, द्वारका, नई दिल्ली-110075, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5600001 से 8600000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30,000 (रुपये तीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

No. F. 10(712)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5536.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Honda Trading Corporation India Private Limited, F-10, Manish Twin Plaza, Plot No. 3, Sector-4, Dwarka, New Delhi-110075 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,000 (Rs. Thirty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 5600001 to 8600000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)